

Shri Hukam Chand
Kachhvaliya;
Shri A. N. Vidyalkar:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether a proposal for the conversion of Provident Fund into a pension scheme for the Central Government employees is under consideration; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). No, Sir. However Government have under consideration a proposal to set up a Family Pension Fund for workers who are members of the Employees' Provident Fund and Coal Mines Provident Fund.

भूत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सरकारी क्वार्टर

279. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास शंशी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे कुछ नियम बनाये हैं जिन में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को वार्षिक परीक्षा होने तक सरकारी क्वार्टरों में रहने दिया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उनसे किराया किस आधार पर वसूल किया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास शंशी (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). आबंटन नियमावली के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि आबंटों की मृत्यु के बाद उसका परिवार वास्तु को उस किराये की प्रदायगो पर जो कि

प्रधिकारी अपने मृत्यु से ठीक पूर्व प्रदा कर रहा था, चार महीने तक अपने पास रख सकता है। फिर भी, बच्चे की अन्तिम परीक्षा प्रथवा परिवार में गंभीर बीमारी जैसे विशेष कारणों के आधार पर इस अवधि के बाद कुछ महीनों तक वह परिवार वास्तु को अपने पास रख सकता है। वृद्धि की ठीक अवधि प्रत्येक मामले के औचित्य पर निर्भर करता है, किन्तु अधिकतम अवधि छः महीने की है। वृद्धि की अवधि का किराया मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत मानक किराये से दुगने दर पर प्रथवा मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत पूरक मानक किराये से दुगना, इन दोनों में जो भी अधिक हो, वसूल किया जाता है।

श्री बड़ों के लिए क्वार्टर

281. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री भती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ नाथ पाण्डेय :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्र 2 दिसम्बर, 1965 के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 1732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शोशियों को रिहायशी मकान तथा अन्य सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी शक्ति का उपयोग शोशियों को सरकार ने लागू कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मकानों तथा शोशियों की बातों का कितना किराया वसूल किया जायेगा; और

(घ) दिल्ली तथा नई दिल्ली में इस समय कितने शोशों हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास शंशी (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और

(ख) समिति की सिफारिशों स्वीकार कर ली गयी हैं। सम्बन्धिता प्राधिकरणों, जिनके नाम हैं, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा भूमि एवं विकास कार्यालय, से कहा गया है कि सिफारिशों लागू करने के लिए समुचित उपाय करें।

(ग) जैसे कि समिति ने सिफारिश की है, रिहायशी भूखंडों का किराया गन्दी बस्ती सफाई योजना के निदानों के अनुसार इन्-दादी आधार पर नियत किया जायेगा और बरीर रिहायशी भूखंडों का किराया पूरी लागत के आधार पर।

(घ) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लगभग 5,000 तथा नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में लगभग 740.

Deaths due to Cold

232. **Shri P. R. Chakraverti:**

Shri K. N. Tiwary:

Dr. L. M. Singhvi:

Shri Onkar Lal Berwa:

Shri Hukam Chand

Kachhavaia:

Shri D. N. Tiwary:

Shri Kameshwar Tantis:

Shri Himatsingka:

Shri S. M. Banerjee:

Shri Madhu Limaye:

Shri Kishen Pattnayak:

Shri Paramasivan:

Dr. P. Srinivasan:

Shri Bagri:

Shri Bade:

Shri Yashpal Singh:

Shri Basumatari:

Shri Shiv Charan Gupta:

Shri R. G. Dubey:

Shrimati Vinla Devi:

Shri Vasudevan Nair:

Shri Maheswar Naik:

Shri S. C. Samanta:

Shri Subodh Honsda:

Shri M. L. Dwivedi:

Shri Bhagwat Jha Azad:

Shri P. C. Borooh:

Shri Jeev Singh Siddhanti:

Shri Prakash Vir Shastri:

Shri Ram Harkh Yadav:

Shri P. H. Bheel:

Shri P. K. Deo:

Shri Visuwa Nath Pandey:

Will the Minister of Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) the number of deaths from the rigours of winter among the shelterless people, making the use of pavements in Delhi in December, 1965 and January, 1966;

(b) the steps taken to solve the problem of shelterless people and to devise measures to persuade them to sleep in night shelters;

(c) the order, if any, issued by the Delhi Administration making the use of pavements at night during winter, an offence, on the lines indicated by the Union Home Minister; and

(d) the response to the drive launched jointly by the police and the civic authorities to persuade the pavement dwellers not to sleep in the open in winter?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mohr Chand Khanna): (a) 17.

(b) 22 night shelters, having capacity for 5265 persons are being maintained in Delhi. Parties of the Municipal staff and Police also went round the city during the cold nights to persuade the pavement dwellers to move to the night shelters.

(c) No order has been issued as this is not free from legal difficulties.

(d) Average attendance in the night shelters rose from 1009 in November 1965 to 2336 in December 1965 and 3,030 in January, 1966.

Power Supply to Delhi from Bhakra

233. **Shri P. R. Chakraverti:**

Shri K. N. Tiwary:

Shri Yashpal Singh:

Shri Bagri:

Shri Kishen Pattnayak: